# ज़ायद बही नं० 4 102

जिलद—बाबत महकमा सब-रजिस्ट्रार

| कीमत अशटाम्प | नम्बर शुमार अन्दराज मुआमले केमालीयत और नोईयत और कीमत रजिस्ट्री व दीगर रसूम और तावान वसूल शुदा |
|---|---|
| नोटः—यह खाना इस किसम के नोटों के लिये भी इस्तेमाल हो सकते हैं जो नामूली किताब नं० 4 के खाना कैफियत में लिखे जाते हैं | R.No. 148<br>कलीपा<br>मुसा<br>[illegible] किताब (ती) - बाबत [illegible]<br>[illegible] 40<br>R/- 50.00<br>C/- 2.00<br>Total - 52.00 |

Sub Registrar
Distt. Bilaspur (H.P.)

New Art Press JUC. 2074 Reg.

Government Judicial Paper

[illegible]
[illegible] नामा
[illegible]
[illegible] उपर [illegible]
[illegible] जट [illegible]
[illegible] बहादुर
[illegible] जिला बिलासपुर
[illegible]
[illegible] ग्राम [illegible]
बहादुर तहसील [illegible]
[illegible] में [illegible]
[illegible] है और
[illegible] है। [illegible] वादिनी
[illegible] गोपालदास [illegible]
[illegible] सदा सदा है।
[illegible] पुत्र [illegible]
[illegible] श्रीमति विद्या गीता है।
[illegible] श्रीमति [illegible]
[illegible] हो चुकी है।
[illegible] अपने पुत्र के दोनों
[illegible] की वादिनी कर दी है।
[illegible] दोनों पुत्रियां अपने
[illegible] शरहद [illegible]
[illegible] उन को [illegible]
[illegible] दिया है और वह
[illegible] नहीं करती हैं।
[illegible] पुत्र [illegible]
[illegible] मिल [illegible]
[illegible] है और वादिनी

No. 711411 A. Himachal Government Judicial Paper

नकल

वलीमुहम्मद वगैरा

बनाम

उजीर।

मुकद्दमा उपर ज० मुहम्मद पुत्र मंगली जात जट कौम मल्लाह सकिन मौजा बहादुरपुर तहसील सदर जिला बिलासपुर हि० प्र० का है।

जोकि उजीर ग्राम मल्लाहा परगना बहादुरपुर तहसील सदर जिला बिलासपुर में मौजीक मकानात का मालिक व काबिज है और मादिया के मुकाबिल भी मालिक व काबिज है। उसका मादिया मवकूलाक गैरमवकूलाह किसी उजीर नेती वगैरा नहीं सदर करता है। उजीर के कब्जा की रियासत के दो मुकिन्ना नीमति विद्या गीता हैं। उजीर के मकान की नीमति मु गिति भी नेते कौत हो चुकी है। उजीर ने अपने पुत्र के दोनों मुकिन्नों की शादियां कर दी हुई हैं। उजीर की दोनों मुकिन्ना अपने अपने घरों में आबाद हैं व उजीर ने उनको काफी रुपया व जहेज दिया है और वह नेती मेहर नहीं करती हैं। उजीर का पुत्र रियासत नेती मेहर पर किसी कार्रवाई का मतलब है और मादिया

उजीर

16-7-90

26.4

अस्तांग भारीयती ---------- रुपये

किराया 10 रुपये ।

कुल ---- 415 ।

Sub Registrar Sadar
Distt. Bilaspur (H.P.)
16/7/90

पर्ची ---- 16/7/90

नाम हुआ ---- सुरज राम S/o मंगत

पुकारा ---- सोमवार समय 12 बजे सुरजु तहसील सदर

जिला बिलासपुर समय ... ने आज दिनांक 16 जुलाई 1990

अनुसार 25 अप्रैल 1912 वरोज सोमवार

समय 2.00 ... कार्यालय उप रजिस्ट्रार

सदर में उपरोक्त रजिस्ट्री लेन देन किया ।

देन कर्ता

2-7-1

सुरज राम

Sub Registrar Sadar
Distt. Bilaspur (H.P.)
16/7/90

मैं प्रमाणित करता हूं कि देन कर्ता ने संपूर्ण विवरण मेरे सामने लगाया है ।

Sub Registrar Sadar
Distt. Bilaspur (H.P.)
16/7/90

711410 A₈ Himachal Government Judicial Paper

जज़ 2

की मरना मानता है कि वे
उज़्रदार हर तरह पर बेकुसूर हैं
वे उज़्रदार तहरीर की लफ्ते
मयनी जुमला जाईद मनसूखा
व गैर मनसूखा हर किस्म की
वल्दीयत बहक़ी रामपरशाद पुत्र
छबील पुत्र मंगी जात जट
कौम मल्लोहत्रा परगना बहादुर
तहसील सदर ज़िला बिलासपुर हि.प्र.
पुख्ता सुबूत से इंकार करता है
और लिख देता है कि जब तक
उज़्रदार हयात है उज़्रदार मयनी
जुमला जाईद मनसूखा व
गैर मनसूखा हर किस्म का मालिक
व काबिज़ रहेगा।
बाद वफात उज़्रदार मयनी जुमला
जाईद मनसूखा व गैर मनसूखा
हर किस्म वाकआ ग्राम मल्लोहत्रा
परगना बहादुर तहसील सदर
ज़िला बिलासपुर व जहां कहीं है
मात्री रामपरशाद पुत्र उज़्रदार बाद
वफात व मालिक व काबिज़
तसव्वर होगा किसी दीगर वारिस
या उज़्रदार से किसी दीगर वारिस
का दावा कोई तालुक़ या वास्ता
न होगा। जुमला जाईद हर
किस्म उज़्रदार में जो जो हक़
उज़्रदार को हासिल है वह तमाम
बाद वफात उज़्रदार मालिकाना मनसूखा

नेगिया व 1970 मुताबिक
उज़्रदार की निशानी

16/7/90

थाना वस्तीपुर

नामा हुआ श्री सुखराम

इसके व हुरुफ [illegible] सुनाया व समझाया गया। जिसने
इस बयान [illegible] को सुन व
समझकर [illegible] किया। इसकी पुनरावृत्ति
श्री सुखराम S/o प्रधान [illegible] जाति से स्वयं
परिचित हूँ। लिहाजा [illegible] हुआ तस्दीक किया
जाता है दर्ज रजिस्टर होवे।

पेश कर्ता

सुखराम

गवाह कर्ता

Rahim
Vice-President
G.P. JAKHALA.

Sub Registrar Sadar
Distt. Bhiwani (H.P.)
16/7/90

मैं प्रमाणित करता हूँ कि पेश कर्ता ने अंगूठा निशान
मेरे सामने लगाया है।

Sub Registrar Sadar
Distt. Bhiwani (H.P.)
16/7/90

711409 A. Himachal Government Judicial Paper

नम्बर 13

हाजरह होंगे।

मुद्दई ने इस के पहिले कोई
दस्तावेज़ किसी कैदी में तैयार
नहीं कराई है अगर बाद बफात
मुद्दई कोई वारिस किसी जायदाद
दस्तावेज़ की निशान पर दावेदार
हो तो वह इस के मुकाबले में
दर तलब होगी और वसीयतनामा
देखा पर पूरा पूरा अमल होगा।
लिहाज़ा इल्म मुकामात वसीयत
वसीयतनामा बमुहर्रिरी होना व
हवास दुरुस्त लिखा तरतीब गई
दस्तखत [illegible] हाजिरात तैयार
कर देता हूँ कि सनद रहे।

तिथि 13 7 90 निशानपुर

गवाह शुद — अ. — गवाह शुद —

श्री नारायण — गुलाबराम — श्री दिलाराम
पुत्र बशीर — वल्द मुहम्मद — पुत्र बदलराम
पुत्र हरिजन — निवासी — निशानपुर
समराला — वल्द — पुत्र श्रीराम
परगना बहादुर — समराला
निशानपुर
परगना बहादुर

(L.T.I. Sukh Ram)

वसीयतनामा देखा में ने दिलाराम
की बक मुहर वाकिफ हूँ।
मुहर्रिर व वकील
वल्द मालवीर
निशानपुर

नकल ते मुताबिक असल है।
तिथि 13 7 90 नकल ते नकल
मुहर्रिर व वकील
वल्द मालवीर
निशानपुर

9523
तिथि 13-7-90
कचहरी तहसील बिलासपुर (हि.प्र.)

9523
तिथि 13-7-90
कचहरी तहसील बिलासपुर (हि.प्र.)

Accession No. 140 in Register 3
Entered on 91 on page/pages 69 Vol. 16/4
Date 16 जुलाई 90

Librarian
Govt. Degree College,
Dhami, Bilaspur (H.P.)
16/7/90